निदेशालय स्वास्थ्य सेवाएँ,
,बिहार पटना।

कार्यालय आदेश

सं0 सं०–4ए/परि0–13–08/2026 पटना, दिनांक–

विभागीय आदेश सं0–348(4ए) दिनांक–18.09.2026 द्वारा बिहार तकनीकी सेवा आयोग से प्राप्त अनुशंसा के आलोक में 792 परिधापकों को नियुक्त करते हुए राज्य के सरकारी अस्पतालों में पदस्थापित किया गया है।

2. उक्त आदेश की कंडिका–8 के अनुसार नवनियुक्त परिधापकों को एक माह के अंदर पदस्थापित संस्थान पर योगदान करने हेतु आदेश निर्गत है। उक्त अवधि समाप्ति के उपरान्त नवनियुक्त परिधापकों द्वारा योगदान की अवधि विस्तार करने का अनुरोध किया गया है।

3. सम्यक् विचारोपरान्त नवनियुक्त परिधापकों को एक अवसर प्रदान करते हुए पदस्थापित संस्थान पर योगदान करने की अवधि दिनांक–07.11.2026 तक विस्तारित किया जाता है।

ह0/–
(डॉ0 रेखा झा)
निदेशक प्रमुख
(रोग नियंत्रण, लोक स्वा0, पारा मेडिकल्स)
स्वास्थ्य सेवायें, बिहार पटना।

ज्ञापांक–4ए/परि0–13–08/2026 –4423(4A) स्वा०, पटना, दिनांक–26/10/2026

प्रतिलिपि :– महालेखाकार (ले० एवं ह०) बिहार, वीरचन्द पटेल पथ, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि :– सचिव, स्वास्थ्य विभाग के प्रधान आप्त सचिव को सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि :– सभी जिला कोषागार पदाधिकारी, बिहार को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि :– अधीक्षक, सभी राजकीय चिकित्सा महाविद्यालय एवं अस्पताल, बिहार को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि :– सभी क्षेत्रीय अपर निदेशक, स्वास्थ्य सेवाएँ, बिहार/सभी सिविल सर्जन, बिहार/निदेशक, सुपर स्पेशलिटी अस्पताल/अधीक्षक/उपाधीक्षक, सदर अस्पताल/अनुमंडलीय अस्पताल, बिहार/प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी, सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र/रेफरल अस्पताल/प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि :– संबंधित नवनियुक्त परिधापक को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।
यह आदेश विभागीय वेबसाईट–state.bihar.gov.in/health पर भी देखा जा सकता है एवं डाउनलोड कर इसे व्यवहार में लाया जा सकता है।

प्रतिलिपि :– आई०टी० मैनेजर, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

26/10/26
निदेशक प्रमुख
(रोग नियंत्रण, लोक स्वा0 एवं पारा मेडिकल्स)
स्वास्थ्य सेवायें, बिहार पटना।